राजस्थान सरकार

वन विभाग

।। कार्यालय उप वन संरक्षक, कोटा।।

(Nayapura, Civil Lines Raj Bhawan Road Kota, Email ID-dcf.kota.forest@rajasthan.gov.in)

दूरभाष नं0–0744-2322747

क्रमाक:–एफ( )उवस/तक./ 2022–23/ 3528 दिनाक: 4.5.23

मिमित:–

अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड

रामगंजमण्डी।

विषय:– Construction of road under PMGSY Salawadkhurd to barodiya antari

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रधान मंत्री सडक योजना के अन्तर्गत जिला कोटा में सलावद खुर्द से बडौदिया आंतरी सडक निर्माण हेतु 4.896 है0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 8 बी/राज./06/33/2008/एफ सी/162 दिनांक 11.05.2009 द्वारा सैद्धान्तीक स्वीकृति जारी की गई थी। सैद्धान्तिक स्वीकृति को 5 वर्ष से अधिक समय व्यतित हो जाने के उपरान्त अनुपालना पूर्ण न होने के कारण पत्र क्रमाक 8 बी/राज./06/33/2008/एफ सी/819 दिनांक 18.09.2015 से स्वीकृति निरस्त होने से नवीन ऑनलाईन प्रस्ताव अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड रामगंजमण्डी द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। जिसके संबंध में आप द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व में 1192459रू वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन फलस्वरूप प्रभावित वन क्षेत्र के दुगने 9.792 है0 अवनत वन भूमि पर दण्डात्मक क्षतिंपूरक जमा करवाये गये है। उच्च कार्यालय से दूरभाष पर कि गई वार्ता के अनुसार फोरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट 1980 के दण्ड प्रावघान 1.21 का ।।। (बी) के अनुसार राशि 1875716.00 रूपये जमा करवायी जानी है, पूर्व में जमा करायी गई राशि व वर्तमान राशि का अन्तर 683257 रू जमा कराये ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

उप वन संरक्षक

कोटा

कार्यालय उपवन संरक्षक कोटा

क्रमांक – 5300 दिनांक 20-06-23

कार्यालय के पत्र क्रमांक 3528 दिनांक 4-5-2023 की पालना मे अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करे। ताकि प्रकरण मे अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

जयराम पाण्डेय

उप वन संरक्षक

कोटा (राज०)